UGC Sl. No. : 47676

विमल-विमर्श

वार्षिक शोध-पत्रिका

अंक–1, भाग–1 वर्ष–6, 2018

A Multi-disciplinary Refereed Research Journal
(प्रकाशन तिथि : 01 जनवरी, 2018)

प्रधान सम्पादक
डॉ० विभा शुक्ला

प्रबन्ध सम्पादक
डॉ० सन्तोष पाण्डेय 'सत्यम'

सम्पादक
डॉ० विनय कुमार शुक्ल 'विद्रोही'
असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, साम्बा, जम्मू एण्ड कश्मीर

सम्पादकीय पता–
ग्राम व पोस्ट–रायपुर (पोखा), थाना–पड़री
जनपद–मिर्ज़ापुर–231001 (उ०प्र०)
मो०–9415695663. vimalvimarsh@gmail.com

प्रधान सम्पादक
डॉ० विभा शुक्ला

प्रबन्ध सम्पादक
डॉ० संतोष पाण्डेय 'सत्यम'

सम्पादक
डॉ० विनय कुमार शुक्ल 'विद्रोही'

उप–सम्पादक
डॉ० रणजीत कुमार सिंह
डॉ० मुकेश कुमारी
जानकी निषाद

सह–सम्पादक
शशांक सिंह
डॉ० सी.एच.वी. प्रमीला कुमारी
डॉ० टी० हैमावती
विचित्र नारायण पाण्डेय

कार्यकारी सम्पादक
अमित कुमार दुबे
डॉ० शिवांगी सिंह
पल्लवी सिंह

ISSN : 2348–5884

UGC Sl. No. : 47676

मूल्य : ₹ 500/- ($ 20)

सम्पादकीय पता – ग्राम व पोस्ट–रायपुर (पोख्ता), थाना–पड़री
जनपद–मीरजापुर–231001 (उ०प्र०)
मो०–9415695663.
Email : vimalvimarsh@gmail.com

संयोजन –
Starline Prints, Lanka, Varanasi.
Mob. : 8127209408

मुद्रण–
The Mahavir Press, Bhelupur, Varanasi.
Mob. : 9415695246

नोट–पत्रिका में निर्धारित सारे पद अवैतनिक हैं। इसे किसी सरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्था से अनुदान प्राप्त नहीं होता है। रचनाकार के विचारों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

नवें दशक की हिन्दी कहानी और मानवाधिकार

डॉ० पूर्णिमा [illegible]

नवें दशक की हिन्दी कहानी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। यह [illegible] देशकाल के परिप्रेक्ष्य में अपना स्वरूप सँवारती–निखारती नजर आती है। वर्तमान कहानि[illegible] को जिन्दगी से जोड़ते हैं और साबित करते है कि कहानी का उपजीव्य दैनंदिन जिन्दगी [illegible] अनुभूति है। कथाकार उदय प्रकाश का कहना है कि "अब कहानी में एक साथ ही [illegible] रिपोर्ताज, सर्वेक्षण, सूचना, डायरी, ग्राफिक आदि के तत्व भी मौजूद होंगे। इसलिए कि [illegible] हमारे रोजमर्रा की जिन्दगी और अनुभव का हिस्सा हो चुके हैं।"

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद की कहानियों में आम जनता का 'यथार्थ' मुखरित हुआ [illegible] जनता का यथार्थ है जो सामाजिक विषमताओं, विसंगतियों और विरूपताओं से जूझ रहा [illegible] परिस्थितियाँ जीवन में विशेषकर मानव चेतना में बदलाव ले आयी। यह बदलाव आज भी [illegible] इसी के कारण मानवीय 'यथार्थ' और 'अनुभव' का रूप निरंतर बदलता जा रहा है। स्वतंत्र[illegible] में नई चेतना, नया दर्शन, नया चिंतन सामने आया। नई चेतना ने मनुष्य में संवेदनहीन[illegible] बढ़ाई, सामाजिक रिश्ते बदले, सम्बन्धों में बिखराव आया, वैयक्तिकता और [illegible] मानवाधिकार उल्लंघन तक होने लगे। युग के साथ–साथ शोषण की नीति भी बदली। [illegible] कहानी में उत्तर आधुनिक दर्शन ने अपने पैर जमाने शुरू किए। इसका प्रमुख आधार [illegible] टेक्नोलॉजी है। यह निरंतर प्रभावशाली भी बनता जा रहा है।

नवें दशक की कहानी में 'यथातथ्यता' को प्रमुखता दी गई। इस दशक की कहानी [illegible] सामाजिक स्थिति और वास्तविकता के बीच खड़ी है। भूमण्डलीकरण के औजार पूँजी, [illegible] छल–छद्म और प्रौद्योगिकी के विकास ने मनुष्य की नियति बदली। इसके साथ ही उपभोक्ता[illegible] मानसिकता के प्रसार से हमारे अर्जित संस्कारों, संस्कृति और मूल्य का विघटन हुआ। साथ ही [illegible] परिस्थितियाँ, राजनैतिक परिवर्तन, राजनीतिज्ञों–माफिया और पूँजीपतियों के गठबंधन, [illegible] आतंकवाद आदि के विस्तार ने मानव जीवन और उसकी कहानी को बदला। राजनैतिक [illegible] भूमण्डलीकरण ने अपनी नैतिकता और मूल्य परिवर्तन करने के लिए मनुष्य पर दबाव डा[illegible] अधिकारों के नाम पर मानवाधिकारों के उल्लंघन ही ज्यादा होते रहे है। सरकार द्वारा [illegible] हित–चिंता केवल कागजी रह गई।

ऐसी परिस्थितियों के रहते मनुष्य हाशिए पर आ गया। उसका अस्तित्व खतरे में पड़ [illegible] के कहानिकारों की पहली चिंता बनी हाशिये पर होने मानव जीवन को केन्द्र में लाने की। [illegible] उन्होंने कई प्रकार की प्रयुक्तियों का प्रयोग आरंभ किया।

मानवाधिकार मानव के अधिकारों का घोषणा–पत्र है। वैसे मानवाधिकार कई प्रकार के [illegible] मुख्य है बाल अधिकार, स्त्रियों के अधिकार, अनुसूचित जाति–जनजाति अधिकार, [illegible] अधिकार, विद्यार्थियों के अधिकार आदि। इस प्रपत्र में हमने अधिकार, स्त्रियों के अधिकार, [illegible] जाति–जनजाति के अधिकार, आम जनता का अधिकार आदि को नवें दशक की कहानियों [illegible] उजागर करने की कोशिश की है।

[illegible]ल अधिकार

बाल अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा में 20 नवम्बर 1959 में की गई और [illegible] नवम्बर 1989 को पारित किया गया। इसके अनुसार बच्चों को जीने का अधिकार, विकास का [illegible]

[illegible] अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, गरिमा के साथ अधिकार, कुपोषण के बिना जीने का [illegible] सहभागिता का अधिकार आदि दिया गया है। इन सब के होते हुए भी बच्चे [illegible] शिक्षा, पोषण आदि से वंचित है। विश्व इक्कीसवीं सदी [illegible] ऐसे भी बच्चे है जिन्हें न भरपेट [illegible]